कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कौशाम्बी

पत्रांक–892/निर्वाचन–29 (कम्प्यूटर आपरेटर) दिनांक 22 जून, 2017

कार्य का विवरण– आउट सोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री आपरेटर/ कम्प्यूटर सहायकों की सेवाएं लिये जाने हेतु।

निविदा की शर्ते

1.	निविदा फार्म का मूल्य	रु0 200–00 (दो सौ रुपये)
2.	धरोहर धनराशि	रू0 10,000–00 (दस हजार)
3.	निविंदा जमा करने की तिथि व समय	दिनांक 29.6.2017 समय अपरान्ह 2–बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 29–06–2017 समय अपरान्ह 4–बजे
5.	डाटा इन्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवा अवधि–	दिनांक 01.07.2017 से 28.02.2018 तक के लिए अनुबंधित की जायेगी।

नियम व शर्ते

1. टेण्डर फार्म सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 29.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।
2. संबंधित सेवाप्रदाता संस्था को टेण्डर फार्म के साथ रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की राशि जो एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय होगा, धरोहर के रूप में संलग्न करनी होगी।
3. सेवाप्रदाता संस्थाओं से प्राप्त सीलबन्द निविदाऐं दिनांक 29.06.2017 को ही अपराह्न 04.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।
4. डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवायें नाइलेट, यू0पी0डेस्को, यू0पी0एल0सी0, अपट्रान, निक्सी एवं मैनपावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी, उ0प्र0 उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा अधिकृत एवं इस हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा इन्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर सहायक की न्यूनतम शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता इण्टरमीडिए + कम्प्यूटर प्रचालन में DOEACC सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण हिन्दी/टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति अपेक्षित होगी ।
6. स्थानीय स्तर पर रखे जाने वाले कार्मिकों को नियमानुसार कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु अनुमन्य न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) देय होगा जो कि वर्तमान में कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 जी0टी0रोड, कानपुर के पत्र संख्या–471–500 दिनांक 27.03.2017 के आधार पर कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु कुल रू0 9,119/– प्रति कार्मिक, प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित है । उक्त अनुमन्य पारिश्रमिक वर्तमान में दिनांक 30.09.2017 तक अनुमन्य होगा । श्रमायुक्त कानपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अर्न्तगत देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता में बढोत्तरी की दशा में उक्त धनराशि में तद्नुसार वृद्धि हो जायेगी
7. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा लिया जाने वाला Administrative Charges, (Maximum 8% on minimum wages अथवा वास्तविक जो भी कम हो), applicable Service Tax (वर्तमान में सर्विस टैक्स @ 14%, SBC @ 0.50% & KKC@ 0.50%) तथा श्रम सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अर्न्तगत देय वैधानिक चार्जेज EPF (Employee Share @ 12%, Employer Share @ 13.36%) & ESI (Employee Share @ 1.75%, Employer Share @ 4.75%) अलग से देय होंगे ।
8. Administrative Charges को छोड़कर शेष विद्यमान/लागू करों की दरों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बदलाव की स्थिति में तद्नुसार उक्त दर में घटोत्तरी/बढोत्तरी हो जायेगी जिसको लागू करने का दायित्व चयनित सेवाप्रदाता संस्था का होगा ।
9. स्थानीय स्तर पर चयनित सेवाप्रदाता संस्था को Minimum Wages के आधार पर अनुमन्य पारिश्रमिक के सापेक्ष 8% Administrative Charges अथवा वास्तविक जो भी कम हो,देय होगा ।

10. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान केवल उनके बचत खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही स्थानान्तरित करना होगा । कार्मिकों को कोई नकद भुगतान, चेक अथवा ड्राफ्ट से देय नहीं होगा ।
11. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनुमन्य पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बचत खातें में स्थानान्तरित करना होगा तथा सर्विस टैक्स, EPF एवं नियमानुसार अन्य वैधानिक चार्जेज FSI इत्यादि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना होगा तथा संबंधित सभी प्रपत्र अगले माह के पारिश्रमिक से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे ।
12. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा प्रत्येक माह के पारिश्रमिक से संबंधित देयक निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ।
13. आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले जिन कार्मिकों का EPF एवं FSI खाता नहीं है, उनके एवं खाते खुलवाने की कार्यवाही चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी ।
14. डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य छोड़ने की दशा में सेवा प्रदाता संस्था को कार्य में बिना किसी व्यवधान के अन्य डाटा इन्ट्री आपरेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी ।
15. उपरोक्त सेवाऐं दिनांक 01–07–2017 अथवा चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि (जो भी बाद में हो) से लेकर दिनांक 28.02.2018 तक के लिए ही अनुबंधित की जायेगी ।
16. उपरोक्त सेवाऐं पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जायेंगी एवं किसी भी समय सेवाप्रदाता संस्था को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है ।
17. निविदादाता को अपनी निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेंसियल) दो पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। टेक्निकल लिफाफे में डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवायें उपलब्ध कराये जाने से संबंधित एफडीआर/एनएससी कार्य से संबंधित अनुभव आदि देने होंगे तथा फाईनेशियल लिफाफे में अपनी प्रस्तावित दरें देनी होंगी ।
18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त संबंधित फर्म को अंकन रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. किसी वाद के मामले में न्याय क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।
20. अन्तिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का मान्य होगा।
21. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
कौशाम्बी।